

पत्रांक: : रा0स्वा0प्रा0/2020-21/Hosp.EMP/160
प्रेषित,

दिनांक : 12 मई 2021

प्रशासक
कालिन्दी हॉस्पिटल
विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।


विषय: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं (SGHS) State Government Health Scheme के अन्तर्गत कोविड-19 मरीजों को उपचार न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं, कि आपका चिकित्सालय PMJAY/AAUY के अन्तर्गत सूचीबद्ध है। PMJAY/AAUY के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के फलस्वरूप चिकित्सालय द्वारा कोविड मरीजों को भी उपचारित किया जाना है। योजना के तहत आयुष्मान कार्ड (PMJAY/AAUY/SGHS) धारक जो कोविड से संक्रमित हैं को निःशुल्क (कैशलेस) उपचार दिया जाना है, लेकिन संज्ञान में आया है कि आपके चिकित्सालय द्वारा कोविड-19 मरीज जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं का इलाज निःशुल्क न करके उससे उपचार हेतु धनराशि ली जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। आपके चिकित्सालय के इस कृत्य को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि महामारी के इस दौर में मानवता दिखाते हुये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं (SGHS) State Government Health Scheme के अन्तर्गत मरीजों को निःशुल्क (कैशलेस) सुविधा प्रदान की जाये, अन्यथा N.H.A. गार्डडलाइन के अंतर्गत आपके चिकित्सालय की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने के साथ ही दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, एवं चिकित्सालय के क्लीनिकल इस्टैबलिश्मेंट एक्ट (CEA)/आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttrakhand Epidemic Disease, Covid 19 Regulation 2020, Epidemic Diseases Act 1897 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) को सूचित किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबन्धन की होगी।

भवदीय



(डॉ0 ए0 के0 गोयल)

निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
- 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
- 4- जिलाधिकारी, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद देहरादून।

(डॉ0 ए0 के0 गोयल)

निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।